आरक्षित

उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 777/2019

रणवीर सिंह .... पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य ....प्रतिवादी

उपस्थितः—

श्री टी.ए. खान, वरिष्ठ अधिवक्ता, ने पुनरीक्षणकर्ता के लिए अधिवक्ता सुश्री सदफ गौड़ की सहायता की।

श्री वी.एस.राठौर, ए.जी.ए.

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी, (मौखिक)

इस पुनरीक्षण में निम्नलिखित को चुनौती दी गई हैः—

(1) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, रुद्रपुर, जिला उधमसिंह नगर की न्यायालय द्वारा 2011 के आपराधिक मुकदमा संख्या 480, राज्य बनाम रणवीर सिंह में पारित दिनांक 08.10.2012 को पारित निर्णय और आदेश ("मामला") के अनुसार पुनरीक्षणकर्ता को अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया गया है और निम्नानुसार सजा सुनाई गई हैः—

(i) भारतीय दंड संहिता की अन्तर्गत धारा 420 तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 1000 रुपये के जुर्माने की सजा (जुर्माने का भुगतान न करने पर) एक माह की अतिरिक्त अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

(ii) भारतीय दंड संहिता की अन्तर्गत धारा 467 तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 1000/–रुपये के जुर्माने की सजा जुर्माने का भुगतान न करने पर एक माह की अतिरिक्त अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

(iii) भारतीय दंड संहिता की अन्तर्गत धारा 468 तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 1000/– रुपये के जुर्माने की सजा जुर्माने का भुगतान न करने पर एक माह की अतिरिक्त अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

(iv) भारतीय दंड संहिता की धारा 471 के अन्तर्गत दो वर्ष के कठोर कारावास और 1000/–रुपये के जुर्माने की सजा जुर्माने का भुगतान न करने पर एक माह की अतिरिक्त अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

(2) अपर सत्र न्यायाधीश, रुद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील संख्या 230/2012 रणवीर सिंह बनाम राज्य में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 07.12.2019 के अनुसार इस मामले में पारित दिनांक 08.10.2012 के निर्णय और आदेश को पुष्ट किया गया है।

2. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया

3. संक्षेप में बताए गए विवाद की सराहना करने के लिए आवश्यक तथ्य इस प्रकार हैः–

पीडब्ल्यू 1 प्रमजीत सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ("संहिता") की धारा 153 (3) के अन्तर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया, जो मामले का आधार है। इसके अनुसार, उसकी पत्नी ने मुख्तारनामा धारक मंजीत कौर के माध्यम से हरविंदर सिंह नाम के व्यक्ति से 25 लाख रुपये में कुछ संपत्ति खरीदी थी। जसवंत सिंह नाम के एक व्यक्ति ने मुख्तारनामा धारक मंजीत कौर के माध्यम से इसके मालिक स्वराज सिंह से 11,66,000 रुपये में कुछ संपत्ति खरीदी थी। लेकिन, आवेदन के अनुसार, निगरानीकर्ता ने सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर एक साजिश के अन्तर्गत, गुरजीत कौर और जसवंत सिंह द्वारा खरीदी गई संपत्ति को हड़पने के लिए, 10.12.1995 को विक्रय के लिए एक जाली समझौता तैयार किया (संक्षेप में "विक्रय पत्र") जिसे कथित तौर पर स्वराज सिंह और हरविंदर सिंह द्वारा निष्पादित किया गया था। विक्रय करार पर स्वराज सिंह और हरविंदर सिंह के फर्जी हस्ताक्षर थे। विक्रय करार को उत्तर प्रदेश उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 ("अधिनियम") की धारा 229 बी के अन्तर्गत एक कार्यवाही में प्रस्तुत गया था। आवेदक के अनुसार, 10.12.1995 को स्वराज सिंह और हरविंदर सिंह भारत में नहीं थे। वे इंग्लैंड में थे। इस आवेदन को स्वीकार कर लिया गया और प्राथमिकी दर्ज की गई। विवेचना अधिकारी ने जानकारी एकत्र की और विवेचना के बाद, निगरानीकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जो मामले का आधार है। दिनांक 25.04.2012 को पुनरीक्षण कर्ता के

विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 के अन्तर्गत आरोप विरचित किए गए थे। जिस पर, उन्होंने इनकार कर दिया और मुकदमे में विचारण की मांग की।

4. अपने मामले को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने साक्षियों से पूछताछ की, जिनमें पीडब्ल्यू 1 परमजीत सिंह, पीडब्ल्यू 2 हेम चंद्र शर्मा, पीडब्ल्यू 3 श्रीमती पूनम मेहरोत्रा, पीडब्ल्यू 4 खीम सिंह अधिकारी, पीडब्ल्यू 5 मो. यामीन और पीडब्ल्यू 6 रवींद्र सिंह टोलिया है ।

5. संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत निगरानीकर्ता की जांच की गई थी। उनके अनुसार, उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। अपने बचाव में, निगरानीकर्ता ने दो साक्षियों डीडब्ल्यू 1 अरुण कुमार और डीडब्ल्यू 2 वीके अग्रवाल को परीक्षित कराया।

6. पक्षों को सुनने के बाद, आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, निगरानीकर्ता को दोष सिद्ध किया गया है और सजा सुनाई गई, जैसा कि पहले कहा गया है। दिनांक 08—10—2012 के निर्णय और आदेश को अपील में असफल रूप से चुनौती दी गई है। इसलिए, निगरानी की गयी है।

7. निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि निचले न्यायालयों ने निगरानीकर्ता को दोष सिद्ध करने में गलती की है। ऐसे दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में पढ़ा गया है, जो साबित नहीं हुए हैं और साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं हैं। निगरानीकर्ता के विरूद्ध विरचित किए गए आरोप को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है। इसलिए, यह तर्क दिया जाता है कि आक्षेपित निर्णय और आदेश रद्द किये जाने योग्य हैं और निगरानीकर्ता अपने विरूद्ध विरचित किए गए आरोप से दोषमुक्त होने के लिए उत्तरदायी है।

8. दूसरी ओर, विद्वान राज्य अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि अभियोजन पक्ष निगरानीकर्ता के विरूद्ध आरोप साबित करने में सक्षम रहा है।

9. यह एक निगरानी है। निगरानी का दायरा निर्णयों और आदेशों की शुद्धता, वैधता और औचित्य की जांच करने की सीमा तक काफी सीमित है। निगरानी में, आम तौर पर साक्ष्य की सराहना तब तक नहीं की जाती है जब तक कि निष्कर्ष विकृत न हो यानी साक्ष्य के वजन के विरूद्ध या अस्वीकार्य साक्ष्य पर विचार नहीं किया जाता है या भौतिक साक्ष्य पर विचार नहीं किया गया है। सीमित क्षेत्राधिकार के भीतर, न्यायालय हस्तगत मामले की जांच करने के लिए आगे बढ़ता है।

10. पीडब्ल्यू 1 परमजीत सिंह मुखबिर है। उन्होंने संहिता की धारा 156 (3) के अन्तर्गत दिए गए अपने आवेदन को साबित कर दिया है, जो कि प्रदर्श ए 1 है। उनके अनुसार, मुख्तारनामा निगरानीकर्ता द्वारा जाली बनाया गया। मुख्तारनामा दिनांक 10.12.2019 का है, उस तारीख को पीडब्ल्यू 1 के अनुसार परमजीत सिंह, स्वराज सिंह और हरविंदर सिंह भारत में नहीं थे।

11. पीडब्ल्यू 2 हेम चंद्र शर्मा जसपुर के उप–विभागीय मजिस्ट्रेट की न्यायालय में रीडर हैं। उन्होंने विक्रय का करार की एक प्रति प्रस्तुत की है, जो कि प्रदर्श ए 2 है और अधिनियम की धारा 229 बी के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई याचिका है, जो प्रदर्श ए 3 है।

12. पीडब्ल्यू 3 श्रीमती पूनम मेहरोत्रा एक स्टाम्प विक्रेता हैं। उसने सामान्य प्राकृतिक साक्ष्य दिए हैं। उनके अनुसार, मुख्तारनामा प्रदर्श ए 2 में, स्टाम्प विक्रेता का नाम दर्ज नहीं है। वह न्यायालय को बताती है कि जब भी विक्रेता कोई स्टांप बेचता है, तो वे अपने रजिस्टर पर एक पृष्ठांकन करते हैं और इस तरह के विवरण स्टाम्प पर भी दर्ज किए जाते हैं।

13. पीडब्ल्यू4 खीम सिंह अधिकारी विवेचना अधिकारी हैं। उनके अनुसार, उन्होंने साइटप्लान तैयार किया। वह बताता है कि उसने स्वराज सिंह और हरविंदर सिंह को पत्र लिखा था, कि क्या उन्होंने 10.12.1995 के किसी मुख्तारनामा को निष्पादित किया था। उन्होंने पत्रों और डाक रसीदों को प्रदर्श ए–4 से–ए–7 तक साबित किया।

14. पीडब्ल्यू4 खीम सिंह अधिकारी ने यह भी कहा है कि स्वराज सिंह और हरविंदर सिंह दोनों ने उनके द्वारा भेजे गए पत्र का जवाब एक नोटरीकृत संचार के माध्यम से दिया है और सूचित किया है कि वे 10.12.1995 को भारत में नहीं थे। उन्होंने उस जांच के बारे में भी बताया है जो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, दिल्ली से की थी। उन्होंने अपने पत्र को साबित किया। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय, नई दिल्ली से दिनांक 10–11–2010 का एक पत्र प्राप्त हुआ है और इसके अनुलग्नक से पता चलता है कि 10–12–1995 को स्वराज सिंह और हरविंदर सिंह भारत में नहीं थे।

15. पीडब्ल्यू4 खीम सिंह अधिकारी ने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय, आरके पुरम, नई दिल्ली प्रदर्श ए 9 और प्रदर्श ए 10 को दिए गए अपने स्वयं के संचार को भी साबित कर दिया है। पीडब्ल्यू4 खीम सिंह अधिकारी के अनुसार, उन्होंने स्वराज सिंह और हरविंदर सिंह से टेलीफोन पर पूछताछ की और दोनों ने कहा कि वे 10.12.1995 को भारत में नहीं थे।

16. पीडब्ल्यू 5. मो. यामीन एक अधिवक्ता और सेवानिवृत्त सब–रजिस्ट्रार हैं। उन्होंने सामान्य प्रथा के बारे में भी बताया है कि डाक टिकट कैसे क्रय एवं विक्रय किये जाते हैं और अंकित किये जाते है। उनके अनुसार, विक्रय का करार, प्रदर्श ए 2 पर हस्ताक्षर और पृष्ठांकन नहीं किया है।

17. पीडब्ल्यू 6 रविंद्र सिंह टोलिया ने इस मामले में जांच पूरी कर आरोप पत्र प्रदर्श ए11 पेश कर दी है।

18. डीडब्ल्यू 1 अरुण कुमार ने निगरानीकर्ता द्वारा किए गए कुछ लेनदेन के बारे में बताया है। वह एक बैंक अधिकारी है। इसी तरह, डीडब्ल्यू 2 वीके अग्रवाल ने भी कुछ लेनदेन के बारे में बताया है। उन्होंने कुछ दस्तावेज भी साबित किए।

19. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, निगरानीकर्ता ने 10.12.1995 को विक्रय के करार फर्जी बनाया। जिसे स्वराज सिंह और हरविंदर सिंह द्वारा निष्पादित किया गया था। अभियोजन पक्ष का कहना है कि स्वराज सिंह और हरविंदर सिंह उस तारीख को भारत में नहीं थे।

20. वास्तव में, यह इस मामले में कोई साक्ष्य नहीं है। पीडब्ल्यू–1 परमजीत सिंह ने यह साबित नहीं किया है कि स्वराज सिंह और हरविंदर सिंह दिनांक 10.12.1995 को भारत में नहीं थे।

पीडब्ल्यू 2 हेम चंद्र शर्मा ने विक्रय का करार की एक प्रति साबित की थी, जो प्रदर्श ए 2 है। पीडब्ल्यू 3 श्रीमती पूनम मेहरोत्रा और पीडब्ल्यू 5 मो. यामीन ने सामान्यतः डाक टिकटों के बारे में कहा है। जैसे कि उन्हें कैसे क्रय और विक्रय जाता है और पृष्ठांकन कैसे किया जाता है।

21. पीडब्ल्यू4 खीम सिंह अधिकारी ने कुछ दस्तावेज साबित किए हैं। उन्होंने स्वराज सिंह और हरविंदर सिंह को पत्र भेजे, जो प्रदर्श ए4 और प्रदर्श ए 6 हैं। उनकी डाक रसीदें प्रदर्श 5 और प्रदर्श 7 है। ये अक्षर अर्थात् प्रदर्श 4 और प्रदर्श 6 कुछ भी साबित नहीं करते हैं। विवेचना अधिकारी पीडब्ल्यू4 खीम सिंह अधिकारी द्वारा स्वराज सिंह और हरविंदर सिंह को भेजे गए पत्र मात्र हैं। पीडब्ल्यू4 खीम सिंह अधिकारी द्वारा किए गए अन्य पत्राचार निम्नानुसार हैंः–

(i) प्रदर्श 8 पीडब्लू 4 खीम सिंह अधिकारी द्वारा आप्रवासन अधिकारी, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली को दिनांक 22–10–2010 को भेजा गया एक पत्र

(ii) प्रदर्श 9 पीडब्ल्यू4 खीम सिंह अधिकारी द्वारा विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी कार्यालय, आरके पुरम, दिल्ली को दिनांक 16.11.2010 को भेजा गया पत्र

(iii) प्रदर्श 10 पीडब्ल्यू4 खीम सिंह अधिकारी का दिनांक 09.11.2010 का एक पत्र एफआरआरओ, नई दिल्ली को लिखा गया है।

22. उपरोक्त पत्र कुछ भी साबित नहीं करते हैं। ये 10.12.1995 को स्वराज सिंह और हरविंदर सिंह के ठिकाने के संबंध में पीडब्ल्यू4 खीम सिंह अधिकारी द्वारा किए गए पत्राचार हैं।

23. पीडब्ल्यू–4 खीम सिंह अधिकारी ने उन दो दस्तावेजों के बारे में बताया है जिन पर विचारण न्यायालय और अपीलीय न्यायालय ने निगरानीकर्ता को दोषी ठहराने के लिए विश्वास किया है, वे विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी, नई दिल्ली द्वारा पुलिस अधीक्षक, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड को 10.11.2010 को लिखे गए एक पत्र हैं। इसमें एक संलग्न भी है। यह विचारण न्यायालय के अभिलेख पर पृष्ट संख्या 7ए/68 है। अपने बयान के पेज 3 में, पीडब्ल्यू 4 खीम सिंह अधिकारी बताते हैं कि इसके अनुसार, 10.12.1995 को

हरविंदर सिंह और स्वराज सिंह भारत में नहीं थे। दूसरा दस्तावेज स्वराज सिंह और हरविंदर सिंह द्वारा कथित तौर पर भेजा गया नोटरी दस्तावेज है। यह विचारण न्यायालय के अभिलेख पर पेपर नंबर 7ए/70 और 7ए/71 है। इस बयान के पृष्ठ 3 में, पीडब्ल्यू 4 खीम सिंह अधिकारी ने इसके बारे में कहा है। वह बताता है कि इन नोटरी दस्तावेजों के अनुसार, 10.12.1995 को स्वराज सिंह और हरविंदर सिंह भारत में नहीं थे।

24. "साबित", "न साबित" और "साबित नहीं हुआ" को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 ("साक्ष्य अधिनियम") के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 61 में प्रावधान है कि दस्तावेजों की सामग्री को प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है।

25. साक्ष्य अधिनियम की धारा 67 में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर और लिखावट को कैसे साबित किया जाए, जिस पर हस्ताक्षर किए गए हैं या लिखित दस्तावेज पेश किए गए हैं। यह निम्नानुसार हैः–ण

जिस व्यक्ति के बारे में अभिकषित है कि उसने पेश की गई दस्तावेज को हस्ताक्षरित किया था या लिखा था उस व्यक्ति हस्ताक्षर या हस्तलेख का साबित किया जाना यदि कोई दस्तावेज किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित या पूर्णतः या भागतः लिखि गई अभिकथित है, तो यह साबित करना होगा कि वह हस्ताक्षर या उस दस्तावेज के उतने का हस्तलेख, जितने के बारे में यह अभिकथित है कि वह उस व्यक्ति के हस्तलेख में है, उसके हस्तलेख में है।

26. किसी तथ्य को कैसे साबित किया जा सकता है, यह अधिनियम की धारा 59 और 60 के अन्तर्गत प्रदान किया गया है। दस्तावेजों की सामग्री को छोड़कर, मौखिक साक्ष्य तथ्यों को साबित कर सकते हैं, लेकिन यह प्रत्यक्ष होना चाहिए।

27. पारित किए गए निर्णय के पैरा 16 (xiii) और (xiv) में, इस मामले में, न्यायालय ने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी, नई दिल्ली द्वारा कथित रूप से किए गए दिनांक 10.11.2010 (7ए/68) के साथ–साथ नोटरीकृत दस्तावेजों (7ए/70 और 7ए/71) का संज्ञान लिया था। मामले में पारित आक्षेपित निर्णय में, न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 56 और 57 (6) पर ध्यान दिया है और उनकी मदद से, न्यायालय ने नोटरीकृत दस्तावेजों के साथ–साथ विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी, नई दिल्ली द्वारा किए गए दिनांक 10.11.2010 के संचार को साक्ष्य के रूप में पढ़ा। यह विधि में एक त्रुटि है।

28. साक्ष्य अधिनियम की धारा 57 (6) निम्नानुसार हैः–

"57. वे तथ्य, जिनकी न्यायिक अवेक्षा न्यायालय को करनी होगी, न्यायालय निम्नलिखित तथ्यों की न्यायिक अवेक्षा करें।

"(6) वे सभी मुहरें जिनमें से अंग्रेजी न्यायालय न्यायिक संज्ञान लेते हैं: भारत में सभी न्यायालयों की मुहरें, और केंद्र सरकार या क्राउन प्रतिनिधि के अधिकार द्वारा स्थापित भारत से बाहर के सभी न्यायालयः न्यायालयों की मुहरें या एडमिरल्टी और समुद्री क्षेत्राधिकार और नोटरी सार्वजनिक, और वे सभी मुहरें जिन्हें कोई भी व्यक्ति संविधान या यूनाइटेड किंगडम के अधिनियम या संसद या अधिनियम द्वारा उपयोग करने के लिए अधिकृत है। भारत में विधि का बल पर विनियमन।

29. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय उन सभी मुहरों का न्यायिक संज्ञान ले सकता है जिनका अंग्रेजी न्यायालय न्यायिक नोटिस लेते हैं। न्यायालय नोटरी का न्यायिक नोटिस भी सार्वजनिक कर सकती है। अधिक से अधिक, न्यायालय जो न्यायिक नोटिस ले सकती है, वह यह है कि पेपर 7 ए/70 और एक्स 7 ए /71 (विचारण न्यायालय के अभिलेख में) पर इंग्लैंड में कुछ नोटरी पब्लिक की मुहर थी। यह अधिक से अधिक इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि इन दो दस्तावेजों को इंग्लैंड में नोटरीकृत किया गया था, लेकिन एक दस्तावेज़ का निष्पादन इसकी सामग्री को साबित नहीं करता है। केवल इन नोटरीकृत दस्तावेजों के आधार पर, इसकी सामग्री साबित नहीं होती है।

यदि स्वराज सिंह और हरविंदर सिंह के इन नोटरीकृत दस्तावेजों में यह लिखा है कि वे 10.12.1995 को भारत में नहीं थे, तो भी यह साबित नहीं होता है कि 10.12.1995 को स्वराज सिंह और हरविंदर सिंह भारत में नहीं थे। ये दस्तावेज सबूत नहीं हैं। लेखक न्यायालय के समक्ष नहीं है। जिस व्यक्ति ने सामग्री लिखी है, वह न्यायालय के समक्ष नहीं है। उन्होंने खुद को जिरह के लिए उपलब्ध नहीं कराया है। ये दस्तावेज निगरानीकर्ता के विरूद्ध लगाए गए आरोप से संबंधित कुछ भी सबूत नहीं देते हैं।

30. अवर न्यायालय ने विचारण न्यायालय के अभिलेख में पृष्ट संख्या 7 ए/68 पर भी विश्वास किया है, जो विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी, नई दिल्ली द्वारा 10.11.2010 को उधम सिंह नगर के पुलिस अधीक्षक को किया गया एक पत्र है। इस पत्र का एक अनुलग्नक क है, जिसे नीचे दिए गए न्यायालय ने साक्ष्य के रूप में पढ़ा है ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि इसके अनुसार, 10.12.1995 को स्वराज सिंह और हरविंदर सिंह भारत में नहीं थे। यह दस्तावेज 7ए/68 और इसके अनुलग्नक साबित नहीं हुए हैं। इसे किसने लिखा है? इसे किसने भेजा था? इस अनुलग्नक । को साक्ष्य में कैसे पढ़ा जा सकता है? यह कुछ हस्तलिखित पाठ है। किसने इस पर हस्ताक्षर किए? यह अस्वीकार्य साक्ष्य है। इन दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए, दोषसिद्धि दर्ज की गई है।

31. पीडब्ल्यू4 खीम सिंह अधिकारी ने यह भी बताया कि उन्होंने स्वराज सिंह और हरविंदर सिंह से टेलीफोन पर पूछताछ की और उन्होंने बताया कि वे 10.12.1995 को भारत में नहीं थे। पीडब्ल्यू4 खीम सिंह अधिकारी द्वारा किए गए इस तरह के दावों पर आपराधिक आरोप साबित नहीं किया जा सकता है। उनके बयान इस पहलू पर सुनी–सुनाई गवाही हैं।

सबसे अच्छा सबूत स्वराज सिंह और हरविंदर सिंह का सबूत होता। उन्हें मुकदमे में गवाह के तौर पर बुलाया जाना चाहिए था। उनकी जांच नहीं की गई। जिन दस्तावेजों को नीचे न्यायालय द्वारा भरोसा किया गया है, वे स्वीकार्य नहीं हैं। वे विधि के अनुसार साबित नहीं हुए। उन्हें साक्ष्य के तौर पर नहीं पढ़ा जा सकता था। अभिलेख पर कोई विधिक रूप से स्वीकार्य सबूत नहीं है जो निगरानीकर्ता के विरूद्ध आरोप साबित कर सके।

32. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि अभियोजन पक्ष निगरानीकर्ता के विरूद्ध आरोप साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है। तदनुसार, पुनरीक्षण की अनुमति दी जानी चाहिए।

33. पुनरीक्षण स्वीकार किया जाता है। दिनांक 08.10.2012 और 07.12.2019 के आक्षेपित निर्णय और आदेश दोनों को रद्द किया जाता है। पुनरीक्षणकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 के अन्तर्गत आरोप से बरी किया जाता है।

34.पुनरीक्षणकर्ता जमानत पर है। उसका बन्धपत्र निरस्त कर दिया जाता है और प्रतिभू को उनकी देनदारी से मुक्त कर दिया जाता है। पुनरीक्षणकर्ता को आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर संहिता की धारा 437 ए के अन्तर्गत संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बन्धपत्र और दो प्रतिभू पेश करनी होगी।

35. विचारण न्यायालय के अभिलेख के साथ इस निर्णय की एक प्रति अवर न्यायालय को प्रेषित की जाए।

(माननीय न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी)

02.11.2022

जितेंद्र